संख्या-आई/ 1252825 /2026/ 9-8002(002)/2/2024

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी, अयोध्या।

नगर विकास अनुभाग-8 **लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगरीय क्षेत्रों में 'पार्कों का निर्माण एवं विकास योजना' योजनान्तर्गत पार्कों के विकास हेतु प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पार्क व ओपन स्पेस के माध्यम से हरित क्षेत्र को बढ़ाये जाने हेतु 'पार्कों का निर्माण एवं विकास (उपवन) योजना' शासनादेश संख्या-1087/नौ-8-2025/05ज/2024, दिनांक 20.05.2025 (यथा संशोधित 07.07.2025) द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त योजना के अंतर्गत नगर निगम झाँसी एवं अयोध्या में पार्क व ओपेन स्पेस के निर्माण के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये। मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा उक्त प्रस्तावों का परीक्षण कर संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी है।

2. अतएव 'पार्कों का निर्माण एवं विकास (उपवन) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि में से नगर निगम, झाँसी, एवं नगर निगम अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष कॉलम-5 में अंकित कुल धनराशि **रूपये 221.96 लाख (रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख छियानबे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एकमुश्त रूप में शत-प्रतिशत धनराशि कुल **रूपये 221.96 लाख (रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख छियानबे हजार मात्र)** को निम्नानुसार अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	परियोजना की कुल	विधीक्षण के उपरांत	प्रशासकीय एवं वित्तीय	प्रथम किश्त के

		लागत (रूपये लाख में)	अनुमानित लागत (रूपये लाख में)	स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6
01	नगर निगम झाँसी, वार्ड संख्या-15 गढ़ियागांव में स्थित रिक्त भूमि आराजी सं० 1632/1.150, 1633/0.100, 1634/0.036 1635/0.512, 1641/0.030, 1642/0.061, 1643/0.206 कुल 07 रकबा 1.095 हे० भूमि में पार्क का निर्माण कार्य।	184.04	130.27	130.27	130.27
02	नगर निगम अयोध्या, बालासराय क्षेत्र में पार्क एवं ओपेन स्पेस के माध्यम से हरित क्षेत्र बढाये जाने का कार्य।	132.47	91.69	91.69	91.69
	योग (लाख में)	**316.51**	**221.96**	**221.96**	**221.96**

(रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख छियानबे हजार मात्र)

3. नियम एवं शर्ते-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य/बैंक/डाकघर/पी०एल०ए०/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) योजना के संबंध में शासनादेश संख्या-1087/नौ-8-25-05ज/2024 दिनांक 20.05.2025, संख्या-1521/नौ-8-25-05ज/2024 दिनांक 07.07.2025, संख्या-1759/नौ-8-25-05ज/2024 दिनांक 06.08.2025 एवं संख्या-2070/नौ-8-25-05ज/2024 दिनांक 17.08.2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ कराया जाये। कार्य प्रारंभ कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भूमि निर्विवादित है। कार्य प्रारंभ होने के उपरांत भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए उसकी वसूली संबंधित नगर निकाय से कराकर राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(4) यदि निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को संबंधित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।

(5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं तो संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/सबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।

(6) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए संबंधित ठेकेदार, नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के महापौर/अध्यक्ष, चयनित आर्किटेक्टा/टाउन प्लानर तथा प्रभारी अधिकारी नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(9) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(11) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे।

(12) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/संबंधित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) व्यय की गयी धनराशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज को समायान्तर्गत उपलब्ध कराया जाये।

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम स्थानीय प्राधिकारी से स्वीकृत कराया जाय।

(15) प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्प्रीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

(16) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 2,11,96,000 (रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख छियानबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 **लेखा शीर्षक 2217801910900** पर्कों का निर्माण एवं विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
UDAI BHANU TRIPATHI
Date: 26-02-2026
18:27:00

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।

<u>**सख्या एवं तद्दिनांक तदैव।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।

4. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
5. महापौर, नगर निगम झाँसी एवं अयोध्या।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी एवं अयोध्या।
7. संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी, उ०प्र०।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-26/02/2026

प्रेषण संख्या:- 1252825
आवंटन आदेश संख्या:- 001-I-1252825-2026-9-8002-002-2-2024
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
191 - नगर निगमों को सहायता
09 - पर्कों का निर्माण एवं विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	झाँसी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13027000 13027000	13027000 13027000
2	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9169000 9169000	9169000 9169000
	योग	वर्तमान प्रगामी	22196000 22196000	22196000 22196000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ इक्कीस लाख छियानवे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ इक्कीस लाख छियानवे हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव